कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/1163/री.ए.डी.एम/2021 इन्दौर, दिनांक 25–3–2021

//आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय– कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा–निर्देश

संदर्भ– मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश कमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2021

(दिनांक 26–3–2021 से प्रभावशील)

विषयान्तर्गत इस माह के प्रारंभ से कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इस कार्यालय के आदेश कमांक 1043–1044/रीएडीएम/2021 इन्दौर, दिनांक 16–3–2021 एवं आदेश कमांक/1135–1136/रीएडीएम/2021 इन्दौर, दिनांक 20–3–2021 तथा आदेश कमांक/1141/रीएडीएम/2021 इन्दौर दिनांक 22–3–2021 जारी किए गए थे।

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश कमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2021 के कम में तथा दिनांक 25–3–2021 को आयोजित काईसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित निर्देश अतिरिक्त रूप से आदेशित किया जाता है–

1– यह कि इन्दौर शहर में पूर्व रविवार अनुसार आगे आने वाले प्रत्येक रविवार को लाकडाउन होगा अर्थात शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लाकडाउन प्रभावशील रहेगा। लाकडाउन अवधि में दवाई की दुकान, अस्पताल, इन्दौर एवं पीथमपुर की औद्योगिक इकाईयों से संबंधित समस्त गतिविधियॅा, बीमार व्यक्तियों एवं सार्वजनिक परिवहन के यात्रीगणों की आवाजाही तथा परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पूर्व अनुसार छूट रहेगी।

2– यह कि अब रात्री 10 बजे के स्थान पर एक घंटा पूर्व अर्थात रात्री 9.00 बजे समस्त कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान जैसे दुकाने, रेस्टोरेंट आदि पूर्ण रूप से बंद किए जाने होंगे तथा विभिन्न रेस्टोरेंट बैठक कक्ष को रात्री 9.00 बजे बंद किया जाकर उस रेस्टोरेंट के किचन से TAKE AWEY पार्सल, रात्री 10.00 बजे तक दिए जा सकेंगे। दवाई की दुकान, अस्पताल, राशन की खेरची एवं थोक दुकानें, दुध डेयरी, जैसे अत्यावश्यक संस्थानों को रात्री 9.00 बजे बंद करने के प्रतिबंध से छुट रहेगी। विभिन्न छात्रों के होस्टल की मेस तथा छात्रों के टिफिन सेंटर भी 9.00 बजे के इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

3– समस्त धर्मों के धर्मस्थल तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तथा श्रृद्धालुओं एवं आमजनों का उसमें प्रवेश वर्जित रहेगा। धर्मस्थलों के अंदर परंपरागत रूप से दैनिक धार्मिक रीति–रिवाज संपादित करने हेतु निर्धारित धार्मिक व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकेगा किन्तु इन धार्मिक रीतियों के संपादन के दौरान किसी भी श्रृद्धालु अथवा आमजन का इसमें उपस्थित रहना इसमें प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धर्मस्थलों के दरवाजे, मुख्यद्वार बंद रहेंगे। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जावे तथा अगर किसी भी धर्मस्थल में इन निर्देशों का उल्लंघन होना पाया जाता है तो वहॉ के प्रबंधक अथवा कमेटी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करवाया जावेगा।

4– आने वाले सभी धर्मों के सभी त्यौहार घर में ही रहकर मनाए जा सकेंगे। किसी भी प्रकार से चौराहों, सड़कों, कालोनी के सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान आदि में एकत्रीकरण होते हुए त्यौहार मनाया जाना अथवा झुण्ड/जुलूस के रूप में त्यौहार मनाया जाना आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आने वाले सोमवार अर्थात 29–3–2021 को भी शहर में त्यौहार के कारण सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे तथा रविवार की तरह सोमवार अर्थात 29–3–2021 को भी शहर में मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस द्वारा अनावश्यक आवाजाही पर कार्यवाही की जावेगी।

5– सार्वजनिक स्थानों पर अथवा बंद हॉल में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, एकत्रीकरण, ज्ञापन आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

6– शादी समारोह में वर–वधु पक्ष एवं पुजारी आदि सहित कुल 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे तथा बारात निकाले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी स्थल पर बैंड–बाजा एवं ढोल के दल द्वारा प्रस्तुती दिए जाने की अनुमति रहेगी। इस प्रकार के शादी समारोह किए जाने हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं

रहेगी किन्तु अगर इसका उल्लंघन होता है तो संबंधित स्थल जहॉ शादी समारोह हो रहा है उसे आगे के कार्यक्रमों हेतु प्रतिबंधित किया जावेगा तथा ऐसे संस्थान सील किए जावेंगे।

7– शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे तथा उठावना एवं मृत्युभोज किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

8– रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा किन्तु रेस्टोरेंट TAKE AWEY भोजन प्रदाय कर सकेंगे।

9– जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमाघर अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। समस्त क्लब की इण्डोर एक्टिवीटी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। किन्तु खुले मैदान/खुले कोर्ट में होने वाली स्पोट्‌र्स गतिविधियॅा तथा मार्निंग वॅाक आदि पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

10– होटल के बैंक्वेट हॅाल, मैरीज गार्डन के हॅाल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह वर्षगाठ मनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। जिले के समस्त पिकनिक स्पॅाट पूर्व अनुसार बंद रहेंगे।

11– दिनांक 28–3–2021 को शासकीय कोषालय एवं उप कोषालय तथा पंजीयन एवं उप पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे तथा इन कार्यालयों से संबंधित सभी व्यक्तियों एवं नागरिकों तथा सर्वीस प्रोवाईडरों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

12– समस्त जुलूस, गेर, मेले पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे तथा इससे संबंधित त्यौहार भी घर में ही मनाए जा सकेंगे।

13– यह देखने में आता है कि व्यावसायिक संस्थानों जैसे दुकान आदि में नाक तक मास्क पहनने का उल्लंघन संस्थान कर्मचारी अथवा ग्राहक द्वारा किया जाता है। अतः सभी दुकान एवं संस्थान मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके कर्मचारी तथा उनके यहॅा आने वाले ग्राहक नाक तक मास्क लगाए हुए ही पाए जावे। इसका उल्लंघन होने पर ऐसे संस्थानों को क्राईसेस मैनेजमेंट समिति में लिए गए निर्णय अनुसार 24 घंटे के लिए सील किया जावेगा तथा 24 घंटे उपरान्त छोटे संस्थानों में रूपये 500/– तथा बड़े संस्थानों में रूप्ये 1000/– का अर्थदण्ड लगाते हुए उसे खोला जावेगा। इससे अधिक का अर्थदण्ड नगर निगम द्वारा नहीं लगाया जा सकेगा।

14– समस्त निजी एवं शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख द्वारा दल गठित किया जाकर रूपये 200/– का अर्थदण्ड मास्क ठीक ढंग से नहीं पहनने वालों पर अर्थात नाक के अथवा मुंह के नीचे मास्क होने पर लगाया जा सकेगा। बिना मास्क वालों पर रूपये 400/– का अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।

15– मास्क की जागरूकता हेतु विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों की सेवाएँ ली जाने का निर्णय लिया गया तथा विभिन्न मंदिर, ट्रस्ट से भी अनुरोध किए जाने का निर्णय किया गया कि वे निःशुल्क मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण जनहित में करवाएं तथा इसी प्रकार अन्य संगठनों को भी सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क मास्क एवं सेनेटाईजर वितरण हेतु प्रेरीत किया जाने का निर्णय लिया गया।

16– क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सम्मानीत सदस्यों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इन्दौर शहर में प्रत्येक वार्ड में वैक्सिन केन्द्र स्थापित करते हुए 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को प्रोटोकॉल अनुसार वैक्सिन करवाने हेतु भेजा जावे क्योंकि वैक्सिन ही कोराना का स्थाई ईलाज है।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 25 मार्च 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 1164 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 25–3–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.